

प्रेषक,

डॉ० रोशन जैकब,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत जनपद बदायूं में मेरठ बदायूं मार्ग (राज्य मार्ग सं०-18) के चैनैज 162.000 से 207.400 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुहदीकरण (मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार चै०-162.000 से 207.400 तक दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण/सुहदीकरण को सम्मिलित करते हुए) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक- 2140/पी०जे०11/15पी०जे०(1)/15, दिनांक 18-09-2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बदायूं में मेरठ बदायूं मार्ग (राज्य मार्ग सं०-18) के चैनैज 162.000 से 207.400 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुहदीकरण (मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार चै०-162.000 से 207.400 तक दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण/सुहदीकरण को सम्मिलित करते हुए) की मूल लागत की स्वीकृति शासनादेश सं०-104/2016/439(1)/23-11-2016-1/2(262)/15, दिनांक 31-03-2016 द्वारा लागत रु० 9398.06 लाख प्रदान की गयी थी। प्रश्नगत कार्य की निम्नांकित विवरण के अनुसार अनुमोदित लागत रु० 31678.13 लाख (रुपये तीन अरब सोलह करोड़ अठहत्तर लाख तेरह हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	मूल स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4	5
1	बदायूं	जनपद बदायूं में मेरठ बदायूं मार्ग (राज्य मार्ग सं०-18) के चैनैज 162.000 से 207.400 तक दो लेन विद पेव्ड शोल्डर चौड़ीकरण एवं सुहदीकरण (मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार चै०-162.000 से 207.400 तक दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण/सुहदीकरण को सम्मिलित करते हुए) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।	9398.06	31678.13

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (2) विभाग द्वारा समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (3) प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियाँ एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुये किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-लम्बाई/चौड़ाई बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय-वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

- (4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा तथा प्रायोजना का निर्माण कार्य सततपूर्ण कराय जाना सुनिश्चित किया जाय।
 - (5) प्रायोजनान्तर्गत वन भूमि से सम्बन्धित आवश्यक वैधानिक अनापत्ति/प्रमाण-पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जाय।
 - (6) प्रायोजनान्तर्गत भूमि अध्याप्ति की लागत प्रस्तावित की गयी है। अतः भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार के संगत वित्तीय नियमों के आधार पर विभाग द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।
 - (7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्वािराप्ति (डुप्लोकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित है।
 - (8) उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश सं०-104/2016/439(1)/23-11-2016-1/2(262)/15, दिनांक 31-03-2016 के शेष प्रतिबन्ध शर्तें यथावत रहेंगी।
- 2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू0ओ0-ई-8-3082/दस-2016, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा है।

भवदीया,

(डॉ० रोशन जैकब)
विशेष सचिव।

संख्या-350/2016/206(1)/23-11-2016-206(1)/2016 -तदु दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम् (निर्माण) उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल/जिलाधिकारी, बदायूँ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (बरेली क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, बरेली।
- 5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु०-8/वित्त आय-व्ययक अनु०-1, उ०प्र० शासन।
- 6- समाज कल्याण विभाग, (बजट प्रकोष्ठ), उ०प्र० शासन।
- 7- राज्य योजना आयोग-1/2, उ०प्र० शासन।
- 8- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ०प्र० शासन।
- 10- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र, लखनऊ।
- 12- निजी सचिव, मा० मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०।
- 13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ० रोशन जैकब)
विशेष सचिव।